



शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़(छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)

गढ़उमरिया, ओड़िसा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 498001

ई-गेल-registrarsnpv@gmail.com. वेबसाईट- https://snpv.ac.in

क्रमांक. 2-3-2-4-8 / गृह विज्ञान / 2024 / 1101

रायगढ़, दिनांक 22/08/2024

// अधिसूचना //

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा(2) की कंडिका(एक)से (पाँच) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान संकाय के अंतर्गत गृह विज्ञान अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है -

- धारा 28 (2) (एक) 1. रिक्त
- धारा 28 (2) (दो) 1. डॉ.पुष्पा सिंह, शासकीय टी.सी.एल स्नातको. महाविद्यालय जांजगीर जिला जांजगीर-चांपा
2. रिक्त
- धारा 28 (2) (तीन) 1. रिक्त
- धारा 28 (2) (चार) 1. श्रीमती एन.एम.गार्डिया, के.एम.टी.शासकीय कन्या महाविद्यालय रायगढ़, जिला-रायगढ़
2. रिक्त
- धारा 28 (2)(पाँच) 1. रिक्त
2. रिक्त

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उप-धारा (3) के प्रावधान के अनुसार माननीय कुलपति महोदय द्वारा डॉ.पुष्पा सिंह को अध्यक्ष अध्ययन मंडल मनोनीत किया है
अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी 3 वर्ष के लिए होगा।

आदेशानुसार

कुलसचिव

रायगढ़, दिनांक 22/08/2024

पृ.क्र. 1102/ अका. / 2024

प्रतिलिपि:-

01. माननीय कुलाधिपति महोदय के सचिव, राजभवन, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
02. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा, विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर।
03. आयुक्त उच्च शिक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
04. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
05. कुलसचिव के निज सचिव को माननीय कुलसचिव महोदय के सादर सूचनार्थ।
06. संबंधित संकायाध्यक्ष को सूचनार्थ।
07. प्राचार्य समस्त संबद्ध महाविद्यालय जिला-रायगढ़ एवं जांजगीर चांपा को सूचनार्थ
08. संबंधित सदस्य.....को सूचनार्थ।
09. विभाग प्रमुख - वित्त, गोपनीय, एवं परीक्षा विभाग, शहीद नंदकुमार पटेल वि.वि.रायगढ़ (छ.ग.) को सूचनार्थ।
10. कार्यालय प्रति।

प्रभाकर अधिकारी (अका.)